

7/10/18  
अदालत  
हुनग की  
जारी

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक  
अदालत केम्प जालिमपुरा

उनवान

1. रामदेव पुत्र चतरा मृतक जरिये कायम मुकामान-

1/1. सुरेश पुत्र रामदेव

1/2. घनश्याम पुत्र रामदेव

1/3. सत्यनारायण पुत्र रामदेव

1/4. मनीषा पुत्री रामदेव

1/5. अनिता पुत्री रामदेव

1/6. रामजानकी बेवा रामदेव

2. रामचन्द्र पुत्र चतरा

3. लटूरी बाई पुत्री चतरा

4. जानकी बाई पुत्री चतरा जाति बैरवा निवासीगण खेडली थारला तहसील दीगोद जिला कोटा  
-वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

वाद अन्तर्गत धारा 88-89 आरटीएक्ट एवं सपठित धारा 136 एलआरएक्ट  
मिसल नम्बर-45/18  
-प्रतिवादी

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस.  
बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म  
दिया जाता है कि " वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम थारला  
तहसील दीगोद स्थित पूर्व ख0नं0 178/3 के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित जाति बोला के स्थान  
पर बैरवा दर्ज करते हुए वर्तमान ख0नं0 195/295 रकबा 0.16 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में  
अंकित जाति धोबी के स्थान पर बैरवा दर्ज किया जावें। साथ ही चतरा की मृत्यु हो जानें से  
चतरा के विधिक वारिसान की जांच करते हुए विधिवत् विवादित आराजी चतरा के वारिसान  
की खातेदारी में दर्ज की जावें।" तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 23.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा		स्टाम्प अर्जी दावा			
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दालयह	रुपये	पैसे

स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।

  
(तारामती वैष्णव)  
सहायक कलक्टर,  
दीगोद